(221)

# म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

## कैम्प कोट रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

681
18-10-12

R - 4219 - II/12
R - 4219 - II/12

1. सहदेव सिंह उम्र 36 वर्ष आत्मज सेठे सिंह गोड़
2. जेठू सिंह उम्र 61 वर्ष आत्मज तिलकधारी सिंह गोड़
3. जयपाल सिंह उम्र 33 वर्ष आत्मज लाल सिंह गोड़
4. कृपाल सिंह उम्र 36 वर्ष आत्मज लल्ला सिंह गोड़
5. लल्ला सिंह उम्र 66 वर्ष आत्मज तिलकधारी सिंह गोड़
6. बोरलाल सिंह उम्र 69 वर्ष आत्मज तिलकधारी सिंह गोड़
7. बलदेव सिंह उम्र 69 वर्ष आत्मज बोरलाल सिंह गोड़
8. मोलई सिंह उम्र 39 वर्ष आत्मज जगदीश सिंह गोड़ सभी क्र0 1 ता0 8

निवासी कुशमहाकला, थाना व तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0)

----- निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 18.10.12

**बनाम**

माया बाई उम्र 33 वर्ष पत्नी कृष्णपाल सिंह गोड़ सा0 कुशमहाकला थाना व तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) ----- गैरनिगरानीकर्ता

**निगरानी निर्णय विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, उमरिया के रा0प्र0क्र0 50 निगरानी 20.10.11 आदेश दिनांक 18.09.12 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0सं0 1959**

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

1. यह कि आराजी ग्राम कुशमहाकला प0ह0 शाहपुर रा0नि0मं0 अमिलहा तहसील पाली जिला उमरिया में स्थित आराजी खसरा नं0 56/1ख रकवा 1.116 हे0 निगरानीगणों के पुस्तैनी आराजी है, उनके पूर्वजों द्वारा झुडकी जगंल तोड़क कर अर्शा 70 वर्ष पूर्व बसे थे। कालांतर में उनके फौत उपरांत एक ही परिवार के होने से आपसी हिस्सा बांट कर घर, कुआं , बाड़ी एवं फलदार वृक्ष लगाकर सपरिवार आवाद चले आ रहे है।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.4219–**II** / 12 जिला–उमरिया

सहदेव सिंह / माया बाई

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 22.08.17 | 1. प्रकरण प्रस्तुत।<br>2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।<br>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।<br>सदस्य | |